



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 518) पटना, सोमवार, 14 जून 2021

okf.kT; &dj foHkx

अधिसूचना

14 जून 2021

vf/kl ipuk l d; k 05@2021&jkT; dj %nj½

एस० ओ० 105. दिनांक 14 जून 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12)(एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद् द्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं जो कि नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उस पर लगाये जाने वाले राज्य कर से उस सीमा तक छूट देते हैं जितने से की वह उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक होती हो, यथा:—

l kj .kh

Ø-l a	v/; k;] 'kh"kd] mi 'kh"kd ; k VsjQ en	oLrqdk fooj.k	nj
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन	2.5%
2	30	टोसीलीजुमेब	शून्य
3	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
4	30	रेमडेसीवीर	2.5%
5	30	हेपरिन (एंटी-कोआगुलंट)	2.5%
6	3002 या 3822	कोविड-19 टेस्टिंग किट्स	2.5%
7	3002 या 3822	इनपलोमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स, जैसे कि- आई एल 6, डी-डीमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन),	2.5%

Ø-l a	v/; k;] 'kh"kd] mi 'kh"kd ; k VfjQ en	oLrq dK fooj .k	nj
(1)	(2)	(3)	(4)
		एलडीएच (लेक्टेट डी-हाइड्रोजीनेस), फेरीटीन, प्रो केलसीटोनीन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिएजेंट्स	
8	3804 94	हैंड सेनेटाइजर	2.5%
9	6506 99 00	हेलमेट्स, नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन के साथ प्रयोग के लिए	2.5%
10	8417 या 8514	क्रिमेटोरियम में प्रयोग के लिए गैस/इलेक्ट्रिक/अन्य प्रकार की भट्टियां	2.5%
11	9018 19 या 9804	पल्स ऑक्सीमीटर	2.5%
12	9018	हाई फ्लो नेस्ल कैनूला डिवाइस	2.5%
13	9019 20, 9804	ऑक्सीजन कंसंटेरेटर/जनरेटर	2.5%
14	9018 या 9019	वेंटिलेटर	2.5%
15	9019	बाई पीएपी मशीन	2.5%
16	9019	(i) नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन नेस्ल या ओरोनेस्ल मास्क, आईसीयू वेंटिलेटर के लिए (ii) कैनूला, वेंटिलेटर के साथ प्रयोग किये जाने के लिए	2.5%
17	9025	ताप मापक उपकरण	2.5%
18	8702 या 8703	एंबुलेंसेस	6%

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 सितंबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13) 05)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

14 जून 2021

एस० ओ० 105, दिनांक 14 जून 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13) 05)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 14th June 2021

Notification No 05 /2021 – State Tax (Rate)

S.O. 105. Dated 14th June 2021— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “the said Act”), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, from the so much of the state tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as in excess of the amount as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, namely:-

Table

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	Medical Grade Oxygen	2.5%
2	30	Tocilizumab	Nil
3	30	Amphotericin B	Nil
4	30	Remdesvir	2.5%
5	30	Heparin (anti-coagulant)	2.5%
6	3002 or 3822	Covid-19 testing kits	2.5%
7	3002 or 3822	Inflammatory Diagnostic (marker) kits, namely- IL6, D-Dimer, CRP (C-Reactive Protein), LDH (Lactate De-Hydrogenase), Ferritin, Pro Calcitonin (PCT) and blood gas reagents.	2.5%
8	3804 94	Hand Sanitizer	2.5%
9	6506 99 00	Helmets for use with non-invasive ventilation	2.5%
10	8417 or 8514	Gas/Electric/other furnaces for crematorium	2.5%
11	9018 19 or 9804	Pulse Oximeter	2.5%
12	9018	High flow nasal canula device	2.5%
13	9019 20 or 9804	Oxygen Concentrator/ generator	2.5%
14	9018 or 9019	Ventilators	2.5%
15	9019	BiPAP Machine	2.5%
16	9019	(i) Non-invasive ventilation nasal or oronasal masks for ICU ventilators (ii) Canula for use with ventilators	2.5%
17	9025	Temperature check equipment	2.5%
18	8702 or 8703	Ambulance	6%

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 30thSeptember, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 05)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 518-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>